(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/होशांगाबाद/भू.रा./2017/2473 विरूद्ध राजस्व निरीक्षक नजूल होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 25–6–17 एवं तहसीलदार नजूल होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–17 प्रकरण कमांक 0001/अ–12/2016–17 .

अनिल कुमार वल्द महेश कुमार गौर
निवासी शनिचरा मोहल्ला, होशंगाबाद
हाल मुकाम ग्राम सोमलवाड़ा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1– उषा सैनी पति बलराम सैनी
2– बलराम पिता भूरेलाल सैनी
निवासी कोरीघाट, होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री आनंद शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक नजूल होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 25–6–17 एवं तहसीलदार नजूल होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा उनके भूमिस्वामी स्वत्व की नगर होशंगाबाद स्थित नजूल सीट कमांक 18, प्लॉट नम्बर 170/1 क्षेत्रफल 10111.5 वर्गफुट भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 0001/अ–12/2016–17 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक/पटवारी को सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 25–6–17 को सीमांकन किया जाकर दिनांक 27–6–17 को सीमांकन

प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–6–17 को आदेश पारित कर सीमांकन आदेश की पुष्टि की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है और आवेदक के पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन प्रतिवेदन में यह उल्लिखित नहीं है कि प्लॉट नम्बर 170/1 के चारों तरफ किन–किन व्यक्तियों के प्लॉट व मकान हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्लॉट नम्बर 170/1 का पूरा सीमांकन नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की आपत्ति का बिना निराकरण किये सीमांकन करने में अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि मौके पर कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है और राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी चिन्हों से सीमांकन नहीं किया जाकर मनमाने तरीके से सीमांकन किया जाकर, स्थल पंचनामा व प्रतिवेदन बनाया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मूल नक्शे के आधार पर सीमांकन नहीं किया गया है, क्योंकि मूल नक्शा और राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाये गये नक्शे में भिन्नता है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक का 332 वर्गफुट भूमि के किस भाग पर अवैध कब्जा है, इसका कोई भी उल्लेख सीमांकन प्रतिवेदन में नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि पर उसका 16–17 वर्षो से मकान बना हुआ है और कुछ भूमि पर अपने निस्तार हेतु खाली जगह छोड़ी थी, जिस पर अनावेदक द्वारा अपने राजनीति प्रभाव का दुरूपयोग कर आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि पर कब्जा करने के दुराशय से कार्यवाही की जा रही है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी समय बाह्य होने से प्रथमतः ही निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदकगण के नाम पर होशंगाबाद में अचल सम्पत्ति स्थित है, जिसके वह वैधानिक भूमिस्वामी होकर काबिज हैं ।

(3) अनावेदकगण द्वारा सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वैधानिक प्रकिया उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया गया है ।

(4) आवेदक को सीमांकन के समय उपस्थित रहने के लिए सूचना पत्र दिया गया था और आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था, इसके उपरांत भी उसके द्वारा पंचनामा, फील्डबुक पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे कमांक 170 का बटांकन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में सर्वे कमांक 170/1 का सीमांकन किस आधार पर किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है । आवेदक की आपत्तियों पर भी तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधिवत नहीं किये जाने से तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक नजूल होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 25–6–17 एवं तहसीलदार नजूल होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–6–17 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर